-८

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(सुरेशकुमार चॉवला आर.ए.एस पीठासीन अधिकारी)

प्रकरण सं.– .6 / 2019

निर्णय दिनांक – 25.02.2019.

अनवान

श्री मोतीलाल पिताश्री हीरालाल जाति–सोनी आयु– 35 वर्ष निवासी– बग्गड तहसील–भीम जिला–राजसमन्द

–प्रार्थी

–:: **बनाम** ::–

1. श्री मुकेश पिताश्री शान्तिलाल जी जाति– जेन आयु– बालिग निवासी– टॉडगढ तहसील–भीम जिला–राजसमन्द
2. श्री प्रतापसिंह पिताश्री नाहरसिंह जाति–रावत आयु– बालिग निवासी– बरातों का बाडिया , लाखागुडा तहसील–भीम जिला–राजसमन्द

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.लैण्ड.रेवेन्यु.एक्ट ::–

आदेश

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अपने ग्राम–नाबरी ,पटवार क्षेत्र –लाखागुडा तहसील– भीम, जिला–राजसमन्द(राज.) में मुझ प्रार्थी के कब्जे , स्वामित्व व आधिपत्य जिसके खसरा नम्बर 1952 / 1760 रकबा 5 बीघा हाल जमाबन्दी खतौनी के अनुसार निम्न आराजी नम्बर स्थित है –जिसके पडौस निम्न प्रकार हैः–पूर्व में रोड ,पश्चिम में – मुकेश पिताश्री शान्तिलाल जैन की जगह,उत्तर में– रोड एन.एच 8 दक्षिण में– प्रतापसिंह पिताश्री नाहरसिह की जगह उपरोक्त वर्णित आराजी की मौके पर सही सीमा जानकारी के चिन्ह नही होने की वजह से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य लडाई झगडा होता रहता है तथा अप्रार्थीगण कांटे डालकर अतिक्रमण कर रहे है तथा मुझ प्रार्थी को काफी परेशान कर रहे है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमि को उन्नत व विकसित कर उपजाउ बनाना चाहता हू एंव उपरोक्त वर्णित भूमि के पाल डोल लगाना चाहता हू परन्तु मौके पर सही सीमा जानकारी चिन्ह नही होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि को उन्नत विकसित उपजाउ नही बना पा रहा हू व पाल डोल नही लगा सकता हू मौके पर अप्रार्थीगणों को अपनी जमीन की सीमाचिन्ह की जानकारी न होने की वजह से आये दिन पाली डमेली को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है तथा कई बार झगडा भी हो गया है। कि सीमा सबंधित हर वक्त विवाद एंव अशाति बनी रहती है एंव प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई मर्तबा सीमा संबधित चिन्ह लगाने को कहा किन्तु वे सदैव टालमटोल करते आ रहे है ।उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नही हूए उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थी एंव उसके अधिवक्ता की बहस सूनी गई प्रार्थी खातेदार है तथा सीमा का विवाद है पत्थरगढी किया जाना उचित है अतःप्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीम को निर्देश प्रदान करावे कि नियमानुसार शुल्क लिया जाकर पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान करावे। कि वे निरदारित शुल्क प्रार्थी से लेकर उक्त आराजी नम्बर 1952 / 1760 रकबा 5 बीघा की पक्की पत्थरगढी मोके पर की जाकर पालना रिपोर्ट 1 माह में न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो

सहायक कलेक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी भीम
जिला - राजसमन्द